अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता,सारण,छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 121/2012

उषा किरण देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के ज्ञापांक 2760, दिनांक 03.09.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल के द्वारा जांच दल सं0-18 श्री संतोष कुमार, वरीय उप समाहर्ता, सारण,छपरा के द्वारा उषा किरण देवी ,ज0वि0प्र0वि0, अनु सं0-11/1994, पंचायत-रामपुर अटौली, प्रखंड-इसुआपुर की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में विक्रेता अनुपस्थित पाए गए। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 515, दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता दिनांक 10.01.2012 को अगले माह के खाद्यान्न के उठाव के लिए नेफ्ट की राशि जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैक,मुरलीपुर,तरैया चली गयी थी। इसलिए दूकान बंद पाई गयी। दूकान बंद रहने की वजह अनियमितताओं को छिपाना नहीं है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ बैक में पैसा जमा करने की जमा पर्ची संलग्न कर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ	

अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए जानबुझ कर अपनी दूकान बंद रखी गई। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनके द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती जाती है, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2760, दिनांक 03.09.2012) अपने आप में एक मुखर आदेश नहीं हैं। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ अपनी अनुपस्थिति के साक्ष्य के रूप में बैक में पैसा जमा करने की जमा पर्ची संलग्न कर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। जांच के क्रम में, यदि विक्रेता की दूकान बंद पाई, तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता को उनकी दूकान से संबंधित कागजातों/पंजी के साथ बुलाकर जांच की जाती। यदि जांच के क्रम में कोई अनियमितता पाई जाती तो विक्रेता की अनुज्ञप्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, संबंधित उपभोक्ताओं का बयान प्राप्त किया जाना भी आवश्यक था। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 28.09.2012 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 32/मुल्य/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15